[1][Rule 10A: Furnishing of Bank Account Details

After a certificate of registration in **FORM GST REG-06** has been made available on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number has been assigned, the registered person, except those who have been granted registration under rule 12 or, as the case may be rule 16, shall as soon as may be, but not later than forty five days from the date of grant of registration or the date on which the return required under section 39 is due to be furnished, whichever is earlier, furnish information with respect to details of bank account [2][which is in name of the registered person and obtained on Permanent Account Number of the registered person], or any other information, as may be required on the common portal in order to comply with any other provision.]

[3][**Provided** that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.]

---

1 Rule 10A inserted by Noti. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 28-06-2019.

2 Inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021. This amendment, not yet enforced.

3 Proviso inserted by Noti. No. 35/2021–Central Tax, dt. 24-09-2021. This amendment, not yet enforced.

[1][नियम 10क : बैंक खाते के ब्यौरों का दिया जाना

सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–06** में रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाने और माल और सेवा कर पहचान संख्या समनुदेशित किए जाने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न जिसे, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, यथाशक्य, शीघ्र किन्तु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी का दिया जाना अपेक्षित है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के ब्यौरे [2]**[**जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के नाम से हो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है**]** के संबंध में जानकारी या कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा।

[3]**[परन्तु** स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।**]**

---

1 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा नियम 10क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।